

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
SEEPZ - SPECIAL ECONOMIC ZONE
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
ANDHERI (EAST) MUMBAI – 400 096.

F. No. SEEPZ-SEZ/S/1/69/2015-16

Dated: 13th Feb, 2017

PUBLIC NOTICE NO. 35 /2017

**Sub : Introduction of Risk Based Examination Module &
Procedure for Paperless transactions in SEEPZ, SEZ - reg.**

A Risk Based Examination Module for export cargo of Gems & Jewellery has been introduced in line with the directions contained in Ministry's letter dated 31.12.13, issued vide F. No. D.12/4/2013-SEZ. Physical examination of 2% to 5% of export cargo will be done based on various risk parameters. To operationalise the Risk Management System, following time limits are being prescribed:

- i) Filing of Shipping Bill for export in SEZ online – upto 11 AM.
- ii) Completion of Assessment – upto 12 Noon
- iii) Presentation of goods for export – upto 3 PM

2. It is also informed that if Shipping Bill is filed after 11 AM and cargo is deposited after 3 PM, then the goods may not be cleared for export on same day, if it is selected for examination.

3. A paperless clearance procedure has been introduced vide Public Notice No. 32/2016 dated 08.12.2016. It has been observed that in absence of seamless data flow to MMTC, the export details are still manually fed after clearance of the goods. To save the time, Unit can share their export details to MMTC immediately after assessment of Shipping Bill.

4. The above timings are to be followed scrupulously.

5. This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.



(V.P. SHUKLA)
Joint Development Commissioner
SEEPZ-SEZ.

Copy to:-

- 1) All Units in SEEPZ-SEZ
- 2) The Secretary, SGJMA
- 3) Concerned Officers
- 4) Notice Board / Website.

भारत सरकार
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
अंधरी (पूर्व), मुंबई - 400096
ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in

टेलीफोन नं. 022-28294799, फैक्स: 022-28291754,

फा.सं.सीपज़-सेज/एस/1/69/2015-16

दिनांक 13 फरवरी, 2017

सार्वजनिक सूचना संख्या 35/2017

विषय:- सीपज़ - सेज में जोखिम आधारित जांच मॉड्यूल तथा कागजरहित कार्य संचालन प्रक्रिया लागू किए जाने के संबंध में ।

मंत्रालय के दिनांक 31.12.2013 के पत्र फाइल संख्या डी.12/4/2013-सेज में निहित निदेशों के अनुसार रत्न एवं आभूषणों के निर्यात कार्यों के संबंध में जोखिम आधारित जांच मॉड्यूल लागू किया गया है । विभिन्न जोखिम मानदंडों के आधार पर 2 % से 5 % प्रतिशत तक के निर्यात कार्यों की वास्तविक जांच की जाएगी । इस जोखिम आधारित प्रबंधन प्रणाली के प्रचालन हेतु निम्नलिखित समय - सीमाएं निर्धारित की जाती हैं:-

- i) निर्यात के लिए सेज ऑनलाइन के जरिए फाइल किए जाने वाले नौपरिवहन बिल - पूर्वाहन 11.00 बजे तक
- ii) निर्यात का कार्य पूरा किया जाना - दोपहर 12.00 बजे तक
- iii) निर्यात के लिए मालों का रखा जाना - अपराहन 3.00 बजे तक
- 2) यह भी सूचित किया जाता है कि यदि नौपरिवहन बिल पूर्वाहन 11.00 बजे के बाद फाइल किया जाता है तथा कार्गो अपराहन 3.00 बजे के बाद जमा किया जाता है, तो निर्यात के लिए उसी दिन माल की निकासी नहीं होगी यदि माल का चयन जांच के लिए किया जाता है ।
- 3) दिनांक 08.12.2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 32/2016 द्वारा कागजरहित निकासी प्रक्रिया लागू की गई है । यह देखने में आया है कि एमएमटीसी को निर्बाध रूप से डाटा न भेजे जाने के कारण मालों की निकासी के पश्चात अभी भी तथ्य से निर्यात संबंधी ब्यौरे तैयार किए जाते हैं । समय की बचत के लिए यूजिट नौपरिवहन बिलों के निर्यात के पश्चात एमएमटीसी के साथ तत्काल अपने निर्यात संबंधी ब्यौरे साझा कर सकते हैं ।
- 4) उपर्युक्त समय - सीमाओं का ईमानदारी से अनुपालन किया जाए ।
- 5) यह विकास आयुक्त, सीपज़ - सेज के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

Panjan

(विजय प्रकाश शुक्ल)

संयुक्त विकास आयुक्त

सीपज़ - सेज

प्रति:-

- 1) सभी यूजिट - सीपज़ - सेज
- 2) सचिव - एसजीओएमए
- 3) संबंधित अधिकारी